पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 24

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	1530.63	22.37	1553.00	2181.50	24.24	2205.74	1820.42	22.72	1843.14	1925.00	26.01	1951.01
पूंजी	***164.44***	*2.00*	*166.44*	*153.00*	*4.00*	*157.00*	*153.00*	*4.00*	*157.00*	*475.00*	*4.00*	*479.00*
जोड़	**1695.07**	**24.37**	**1719.44**	**2334.50**	**28.24**	**2362.74**	**1973.42**	**26.72**	**2000.14**	**2400.00**	**30.01**	**2430.01**

	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ब.अ. 2016-2017													
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12.41	12.41
2. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	2070	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	13.60	13.60
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	450.00	...	450.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	300.00	...	300.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45.00	...	45.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*795.00*	*13.60*	*808.60*
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु संस्करणों का केंद्रीय पूल	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	695.00	...	695.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*900.00*	...	*900.00*
4. आजीविका, कौशल और क्षमता निर्माण													
4.01 क्षमता निर्माण और प्रचार प्रसार	2250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73.00	...	73.00
4.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150.00	...	150.00
जोड़- आजीविका, कौशल और क्षमता निर्माण		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*223.00*	...	*223.00*
5. पूर्वोत्तर सड़क परियोजना													
5.01 पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना प्रबंधन एकक	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
5.02 आर्थिक महत्व के सड़कों का निर्माण/सुधार	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
5.03 पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना													
5.03.01 ईएपी	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150.00	...	150.00
5.03.02 कार्यक्रम घटक	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150.00	...	150.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	वास्तविक 2014-2015 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2014-2015 जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	बजट 2015-2016 आयोजना-भिन्न	बजट 2015-2016 जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	संशोधित 2015-2016 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2015-2016 जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	बजट 2016-2017 आयोजना-भिन्न	बजट 2016-2017 जोड़
जोड़- पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*300.00*	...	*300.00*
जोड़- पूर्वोत्तर सड़क परियोजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*307.00*	...	*307.00*
6. विशेष विकास पैकेज													
6.01 बाडोलैंड क्षेत्रीय परिषद	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
6.02 कार्बी एंगलांग क्षेत्रीय परिषद	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00
6.03 डिमा हसाव क्षेत्रीय परिषद	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
जोड़- विशेष विकास पैकेज		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*100.00*	...	*100.00*
7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों को ऋण और सहायता													
7.01 पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम	6885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.00	...	75.00
7.02 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणना निगम	6851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00
7.03 पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और कथकरघा विकास निगम	6851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00
जोड़- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों को ऋण और सहायता		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*75.00*	*4.00*	*79.00*
8. सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि													
8.01 सामाजिक और अवसंरचना विकास के तहत योजनाएं	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	170.00	...	170.00
8.02 घटाएं - एसआईडीएफ से पूरी की गई राशि	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-170.00	...	-170.00
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
सं.अ. 2015-2016													
9. सचिवालय सेवाएं													
9.01 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	10.20	10.20	...	11.48	11.48	...	10.91	10.91	...	...	...
9.02 पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय	2070	...	12.17	12.17	...	12.76	12.76	...	11.81	11.81	...	...	...
जोड़- सचिवालय सेवाएं		...	*22.37*	*22.37*	...	*24.24*	*24.24*	...	*22.72*	*22.72*	...	...	...
10. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	2552	110.98	...	110.98	140.00	...	140.00	140.00	...	140.00	...	...	...
	3601	437.99	...	437.99	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	...	...	...
	जोड़	*548.97*	...	*548.97*	*740.00*	...	*740.00*	*740.00*	...	*740.00*	...	...	...
11. आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार	4552	6.97	...	6.97	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	...	...	...
12. पूर्वोत्तर को आयोजना भिन्न ऋण													
12.01 पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को आयोजना भिन्न ऋण	6851	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	...	...
12.02 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम को ऋण	6851	...	...	...	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- पूर्वोत्तर को आयोजना भिन्न ऋण		*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*4.00*	*4.00*	*...*	*4.00*	*4.00*	...	...	...
13. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई)	6885	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	...	...	...
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केन्द्रीय संसाधन पूल से अनुदान	3601	704.50	...	704.50	970.00	...	970.00	735.42	...	735.42	...	...	...
15. बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	3601	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	...	...	...
16. पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी) ईएपी	3601	125.00	...	125.00	24.50	...	24.50	124.50	...	124.50	...	...	...
17. विज्ञापन और प्रचार	2250	4.82	...	4.82	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00	...	...	...
18. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण	2250	15.97	...	15.97	16.00	...	16.00	11.00	...	11.00	...	...	...
19. अन्य कार्यक्रम	4552	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	...	...	...
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी)-ईएपी	2552	90.00	...	90.00	15.00	...	15.00	90.00	...	90.00	...	...	...
21. पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के उन्नयन हेतु विशेष निधि के तहत योजनाएं	4552	41.57	...	41.57	170.00	...	170.00	70.00	...	70.00	...	...	...
21.01 सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से प्राप्त राशि घटाएं	4552	-41.57	...	-41.57	-170.00	...	-170.00	-70.00	...	-70.00	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर सड़क परियोजना प्रबंधन एकक	2552	0.11	...	0.11	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
23. एनएलसीपीआर योजना के तहत परामर्श, मॉनिटरिंग, तीसरा पक्ष मूल्यांकन प्रभार आदि।	2552	0.74	...	0.74	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
24. संसाधनों का अव्यपतयोग्य केंद्रीय पुल (एनएलसीपीआर) - केंद्रीय	4552	71.97	...	71.97	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	...	...	...
25. नार्थ ईस्ट रोड कार्पोरेशन	3601	...	...	...	225.00	...	225.00	75.00	...	75.00	...	...	...
26. पूर्वोत्त्र राज्यों में कार्बनिक खेती	3601	...	...	...	125.00	...	125.00	...	...	...	...	...	...
27. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास में इक्विटी निवेश (सहायता अनुदान)	4851	2.50	...	2.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28. इकनॉमिक डेवलपमेंट फोर कार्बी एनालॉग टरिटोरियल काउंसिल (केएएटीसी) को विशेष पैकेज	3601	10.52	...	10.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1695.07***	***24.37***	***1719.44***	***2334.50***	***28.24***	***2362.74***	***1973.42***	***26.72***	***2000.14***	***2400.00***	***30.01***	***2430.01***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम	12885	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	75.00	...	75.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
लिमिटेड (एनईडीएफआई)													
20. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास में इक्विटी निवेश (सहायता अनुदान)	12851	2.50	...	2.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**62.50**	**...**	**62.50**	**30.00**	**...**	**30.00**	**30.00**	**...**	**30.00**	**75.00**	**...**	**75.00**
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	75.00	...	75.00
2. सड़क एवं पुल	13054	125.00	...	125.00	249.50	...	249.50	199.50	...	199.50	302.00	...	302.00
3. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	20.79	...	20.79	26.50	...	26.50	20.00	...	20.00	73.00	...	73.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	162.08	...	162.08	230.50	...	230.50	180.50	...	180.50	350.00	...	350.00
5. ग्राम एवं लघु उद्योग	12851	2.50	...	2.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**370.37**	**...**	**370.37**	**536.50**	**...**	**536.50**	**430.00**	**...**	**430.00**	**800.00**	**...**	**800.00**
राज्य योजना:													
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	43601	578.94	...	578.94	773.00	...	773.00	773.00	...	773.00	800.00	...	800.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल	43601	705.24	...	705.24	975.00	...	975.00	740.42	...	740.42	700.00	...	700.00
3. बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद हेतु विशेष पैकेज	43601	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
4. कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के आर्थिक विकास हेतु विशेष पैकेज (केएएटीसी)	43601	10.52	...	10.52	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00
5. दिमा हसाओ क्षेत्र परिसर	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
जोड़ - राज्य योजना		**1324.70**	**...**	**1324.70**	**1798.00**	**...**	**1798.00**	**1543.42**	**...**	**1543.42**	**1600.00**	**...**	**1600.00**
जोड़		**1695.07**	**...**	**1695.07**	**2334.50**	**...**	**2334.50**	**1973.42**	**...**	**1973.42**	**2400.00**	**...**	**2400.00**

1.01. **सचिवालय-सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान इस मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें:** ये स्कीमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं। इसके उद्देश्यों में अन्य के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र का संतुलित विकास शामिल है। यह प्रावधान पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय (एनईसी), शिलांग के व्यय के लिए है।

3. **अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल:** अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का व्यापक उद्देश्य इस क्षेत्र में विशिष्ट व्यावहारिक अवसंरचनागत परियोजनाओं/स्कीमों के लिए बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में अवसंरचना के त्वरित विकास को सुनिश्चित करना है। अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल-केंद्रीय स्कीम केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं/स्कीमों को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाता है तथा 10 प्रतिशत अनिवार्य निर्धारण के माध्यम से उनके द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के अलावा पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय तथा/या राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली स्कीमों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है। यह प्रावधान इन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु है।

4.01. विज्ञापन एवं प्रचार स्कीम के माध्यम से इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए व्यापार निकायों एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से ट्रेड एक्सपो, सेमिनारों आदि के माध्यम से पूर्वोत्तर को प्रदर्शित करने तथा देश के अन्य हिस्सों के साथ इसे मुख्य धारा में लाने संबंधी क्रियाकलाप प्रारंभ किए जाते हैं।

4.02. **पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना:** उत्तर पूर्वी क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रामीण आबादी की रोजगार, आय एवं प्राकृतिक संसाधनों की सतता संबंधी जरुरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण पहल है

। इस परियोजना को विश्व बैंक के माध्यम से वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है । यह प्रावधान इस परियोजना के क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए है । पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों एवं युवाओं का क्षमता निर्माण परियोजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं सुशासन की पूर्वापेक्षा है जिसे इस स्कीम के तहत उत्कृष्टता केंद्रों के साथ दीर्घकालिक सहयोग के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

5.01. **उत्तर पूर्वी सड़क परियोजना प्रबंधन इकाई:** यह प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के व्यय को पूरा करने के लिए है, जिससे एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी सड़क परियोजना के कार्यान्वयन में सुविधा होगी ।

5.02. **आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/सुधार:** इसे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाता है, जो निर्माण का कार्य देखता है और चालू सड़क स्कीमों को पूर्ण करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है ।

5.03. **उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास स्कीम:** यह प्रावधान एशियाई विकास बैंक से ऋण/अनुदान के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए किया गया है । इस स्कीम को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा ।

6. **विशेष विकास पैकेज:** यह प्रावधान असम में (i)बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं/स्कीमों, (ii)कार्बी आंगलांग प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी) के आर्थिक विकास, (iii)दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद (डीएचटीसी) के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज के लिए है ।

7.01. **उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम:** उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम (नेडफी) को गुवाहाटी स्थित पंजीकृत कार्यालय के साथ 9 अगस्त, 1995 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया था । नेडफी का उद्देश्य इस क्षेत्र में वित्त पोषण की पहचान और पर्यावरण अनुकूल तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य औद्योगिक अवसंरचना एवं कृषि-बागवानी परियोजनाओं को पोषित करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाना है । यह प्रावधान नेडफी को दीर्घावधि का आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए है ।

7.02. **उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम:** उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामेक), जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, की स्थापना एक कार्यकारी आदेश के तहत की गई थी और इसे भारत सरकार के उद्यम के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 मार्च, 1982 को निगमित किया गया था । यह निगम मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों के व्यापार का काम करता है । यह प्रावधान इस निगम द्वारा अपनी व्यापार गतिविधियों को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग करने के लिए है ।

7.03. **उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम:** उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) की स्थापना मार्च, 1977 में इस क्षेत्र के उत्पादों के लिए विकासात्मक तथा संवर्धनात्मक आदान उपलब्ध कराने और डिजाइन विकास, प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकियों के उन्नयन और तैयार उत्पादों के विपणन के लिए की गई थी । मंत्रालय प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि जैसी प्रोत्साहन गतिविधियों को चलाने में होने वाली नकद हानियों को कवर करने के लिए एनईएचएचडीसी को ऋण उपलब्ध कराता है ।

8.01. **सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि के तहत स्कीमें:** यह प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से अरूणाचल प्रदेश और अन्य सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना सुविधाओं के सृजन और उन्नयन के लिए है ।